

VI. Member under clause (f) of Section 4 :

11. Dr. (Ms.) Asha Kishor, Director, Shri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Kerala
12. Dr. R.S. Rathore, Ex-DG (Medical) , BSF (Para Military Forces)
13. Prof. KLN Rao, Ex-HOD , Pediatric Surgery, PGIMER Chandigarh
14. Dr. Rita Sood , Professor & Head , Department of Medicine , AIIMS Delhi

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

15. Vacant
16. Vacant
17. Vacant

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2018

का.आ. 6410 (अ.) – केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित सदस्यों वाले **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर** का गठन करती है: नामतः -

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

1. कुलपति, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक;

II. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, - पदेन सदस्य;

III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :

3. संस्थान के निदेशक - पदेन सदस्य

IV. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :

4. रिक्त
5. रिक्त

V. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :

6. डॉ. पीके दवे, अध्यक्ष, रॉकलैंड अस्पताल, पूर्व निदेशक, एम्स नई दिल्ली;
7. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या नामांकित व्यक्ति;
8. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार या नामांकित व्यक्ति;
9. निदेशक, टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर, नवीं मुंबई;
10. डॉ. डी. एस राणा, मानद सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलोजी, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली;

VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :

11. डॉ. वीर सिंह नेगी, विभागाध्यक्ष (क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी), जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी;
12. डॉ. बी.एस. शर्मा, (पूर्व-विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग; एम्स नई दिल्ली) प्रोफेसर एवं प्रमुख न्यूरो सर्जरी, महात्मा गांधी मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान;
13. प्रो. दीपक भसीन, पूर्व प्रमुख गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
14. डॉ. शशि कांत, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली; तथा

VII. संसद सदस्य 4 के खंड (छ) के तहत सदस्य :

15. रिक्त
16. रिक्त
17. रिक्त

सदस्यों के कार्यालय की अवधि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2018

S.O. 6410(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby constitutes the **All India Institute of Medical Sciences, Nagpur** consisting of the following members, namely:—

- I. Member under clause (a) of Section 4 :**
 1. Vice Chancellor, Maharashtra University of Health Sciences, Nashik;
- II. Member under clause (b) of Section 4 :**
 2. The Director-General of Health Services, Government of India, ex-officio;
- III. Member under clause (c) of Section 4 :**
 3. The Director of the Institute, ex-officio;
- IV. Members under clause (d) of Section 4 :**
 4. Vacant;
 5. Vacant;
- V. Members under clause (e) of Section 4 :**
 6. Dr. P. K. Dave, Chairman, Rockland Hospital, ex-Director, AIIMS New Delhi;
 7. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or nominee;
 8. Chief Secretary, Government of Maharashtra, or nominee;
 9. Director, Tata Memorial Cancer Centre, Navi Mumbai;
 10. Dr. D.S. Rana, Honorary Sr. Consultant Nephrology, Sir Gangaram Hospital, New Delhi;
- VI. Members under clause (f) of Section 4 :**
 11. Dr. Veer Singh Negi, HOD (Clinical Immunology), JIPMER, Puducherry;
 12. Dr. B.S. Sharma, [Ex-HOD Department of Neuro Surgery, AIIMS New Delhi] Prof. & Head, Neuro Surgery, Mahatma Gandhi University of Medical Science & Technology Jaipur, Rajasthan;

13. Prof. Deepak Bhasin, Ex-Head Gastroenterology, PGIMER, Chandigarh;

14. Dr. Shashi Kant, Professor & Head, Department of Community Medicine, AIIMS New Delhi; and

VII. Member of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

15. Vacant

16. Vacant

17. Vacant

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2018

का.आ. 6411 (अ) .—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित सदस्यों वाले **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली** का गठन करती है: नामतः -

I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:

1. कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ

II. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार -पदेन सदस्य

III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :

3. निदेशक, एम्स रायबरेली - पदेन सदस्य

IV. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :

4. रिक्त

5. रिक्त

V. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :

6. डॉ. प्रमोद गर्ग, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एम्स दिल्ली

7. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या नामांकित व्यक्ति

8. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या नामांकित व्यक्ति

9. निदेशक, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी

10. प्रो. पी.कार. पूर्व डीन, चिकित्सा विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :

11. डॉ. एस.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष (ईएनटी), एम्स दिल्ली

12. डॉ. सिद्धार्थ रामजी, डीन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली